न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–22/2025 दायर दिनांक– 15.09.2025
GCMS NO:- 2025/297 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

सुरेश कुमार रजवानिया आ0 कन्हैयालाल उर्फ खाना रजवानिया जाति धोबी नि0 वार्ड नं0 14 गढ के पीछे देई तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरलाल शर्मा।

निर्णय दिनांक 29.09.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम दुगारी तहसील नैनवॉ मे कृषि भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–2079 की खाता संख्या नया 908 पुराना 751 की खसरा संख्या 5085/1321 रकबा 0.1618 हैक्टयर स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार स्वामी है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी ही कृषि काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि प्रार्थी सीधा साधा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। प्रार्थी की भूमि के पास अन्य खातेदारान की भूमि स्थित है जिससे अन्य पडौसी खातेदारान आये दिन सीमाओं को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते है। दिनांक 26.06.2024 को प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया था जिसके उपरान्त तहसीलदार नैनवॉ से पत्थरगढी करने का तकाजा किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को यह कहकर मना कर दिया कि पहले न्यायालय से पत्थरगढी का आदेश लाओ तब तुम्हारा काम होगा। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी उक्त भूमि का स्थायी सीमांकन करवाकर उसकी सुरक्षा के लिए पत्थरगढी करवाकर अपनी खातेदारी भूमि की सीमा का स्थायी अंकन करवाये ताकि प्रार्थी अपनी भूमि की सुरक्षा कर सके। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी,, नक्शा ट्रेस एवं दिनांक 26.06.2024 को हुए सीमाज्ञान मौका पर्चा की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की तामिली प्राप्त लेकिन उनकी रिपोर्ट अप्राप्त।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा पाया कि धारा 111, 128 का प्रार्थना पत्र एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है एवं प्रार्थी द्वारा पूर्व मे ही उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया गया है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम दुगारी तहसील नैनवॉ मे कृषि भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–2079 की खाता संख्या नया 908 पुराना 751 की खसरा संख्या 5085/1321 रकवा 0.1618 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा